न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला—बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 91 / 2020 ता0 रजू 16.07.2020

GCMS ID-2020/00310

उनवान

1. शोजी आ0 भूरा जाति माली निवासी सालमपुरा तह0 हिण्डोली, बून्दी।
2. मांगीलाल भूरा जाति माली निवासी सालमपुरा तह0 हिण्डोली, बून्दी।
3. भूरी पुत्री भूरा पत्नी प्रेमचन्द जाति माली निवासी हिण्डोली, बून्दी।
4. गोपाली पुत्री भूरा पत्नी केसरा जाति माली निवासी बडौदिया, हिण्डोली।
5. पुष्पा पुत्री भूरा पत्नी सत्यरानारायण जाति माली निवासी सिंघाडी, हिण्डोली।
6. लक्ष्मी पुत्री भूरा पत्नी दुर्गालाल जाति माली निवासी रामनिवास, हिण्डोली।
7. रामधणी पुत्री भूरा पत्नी प्रभू जाति माली निवासी सथूर, हिण्डोली।
8. बरजी बाई पत्नी श्री भूरा जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
9. रामदेव आ0 सोरामा जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
10. हेमराज आ0 सोरामा जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
11. कैलाशी पुत्री सोरामा पत्नी राधेप्रकाश जाति माली निवासी हिण्डोली।
12. फूलाबाई पत्नी सोरामा जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
13. शभूलाल आ0 श्रीकिशन जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
14. मेहनलाल आ0 श्रीकिशन जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
15. सत्यनारायण आ0 श्रीकिशन जाति माली निवासी सालमपुरा, हिण्डोली।
16. सीताबाई पुत्री श्रीकिशन पत्नी श्री घासी जाति माली निवासी बडोदिया
17. तुलसाबाई पत्नी श्रीकिशन जाति माली निवासी सालमपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. गोपाल आ0 श्री देवा जाति माली निवासी सालमपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—
श्री विजय कुमार माहेश्वरी अधि0 वादी
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

आदेश

दिनांकः—20.01.2025

दावा वादी का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल क्षेत्र हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 537 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3505 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 3734 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 3735 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 3736 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 3737 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 3740 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 3746 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 3747 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 3748 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 3749 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 3751 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा विरिथतं है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

2071–74 में भूरा, सोरामा, श्रीकिशन पिसरान देवा हिस्सा 3/5 व प्रतिवादी गोपाल हिस्सा 2/5 दर्ज है। खातेदार भूरा, सोरामा, श्रीकिशन की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार भूरा के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 8 खातेदार सोरामा के वारिसान 9 लगायत 12 व खातेदार श्रीकिशन के वारिसान वादी संख्या 13 लगायत 17 है।, वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व की भूमियॉ है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार भूमियों को आपसी सहमति से काश्त कर रहे है किन्तु विवादित भूमियों का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपस में विधि अनुरूप बंटवारा नही हुआ है। वादीगण उक्त भूमियों में निहित अपने हिस्से की भूमियों को हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमियों संयुक्त स्वामित्व में दर्ज होने के कारण वादीगण को अपनी भूमियों को विकसित करने, भूमि की लगान पिलाई देने व कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने में भारी असुविधा का सामना करना पडता है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित भूमि का विधि अनुरूप अपने अपने हिस्से के अनुसार भूमि का बंटवारा कराकर अपने अपने हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक अपने अपने खाते अंकन करवाने एवं बंटवारे में आई भूमियों पर अपना अपना कब्जा काश्त करने हेतु कई दफा निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा टालम टोल करता रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित भूमि में विधिवत अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाए, बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में उसे पृथक से अपने खाते अंकित करावे एंव बंटवारे में प्राप्त भूमि का कब्जा प्राप्त करें। वादीगण ने अभी जुलाई, 2020 में प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित भूमि का अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कराने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने व बंटवारे के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को वाद कारण जुलाई, 2020 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा कराने से इंकार करने पर उत्पन्न हुआ। वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित भूमिया ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने के कारण न्यायालय श्रीमान को उक्त वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधि अनुरूप बंटवारा किया जाकर विवादित भूमियों में वादीगण के हिस्से आई भूमियों के खिलाफ रिकॉर्ड में वादीगण के पृथक खाते अंकित किया जावे एवं बंटवारे में वादीगण को प्राप्त हुई भूमियों का कब्जा वादीगण को व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमियों का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाया जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादी नं. 01 वाबजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं गई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 537 सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली पेश किये है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीगण/प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 09.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/24/1007 दिनांकः– 30.05.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम हिण्डोली की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0में
1.	रामदेव, हेमराज पुत्र सोरामा, कैलाशी पुत्री सोरामा, फूलाबाई पत्नी स्व0 सोरामा हिस्सा 1/5, गोपाल पुत्र देवा हिस्सा 2/5, मोहनलाल, शम्भूलाल, सत्यनारायण पुत्र श्रीकिशन, सीताबाई पुत्री श्रीकिशन, तुलच्छा बाई पत्नी स्व0 श्रीकिशन हिस्सा 1/5, भूरा पुत्र देवां हिस्सा 1/5 जाति माली सा0 देह खातेदार।	3751 3748 3749 3747 3746 3736 3737	0.0162 0.0243 0.0081 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162
	योग	किता– 07	0.1134

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

2.	रामदेव, हेमराज पुत्र सोरामा, कैलाशी पुत्री सोरामा, फूलाबाई पत्नी स्व0 सोरामा हिस्सा 1/3, मोहनलाल, शम्भूलाल, सत्यनारायण पुत्र श्रीकिशन, सीताबाई पुत्री श्रीकिशन, तुलच्छा बाई पत्नी स्व0 श्रीकिशन हिस्सा 1/3, भूरा पुत्र देवा हिस्सा 1/3 जाति माली सा0 देह खातेदार।	3747/1 3746/1 3736/2 3737/1 3735 3734 3740 3505	0.0728 0.0728 0.0341 0.0647 0.1295 0.1052 0.0567 0.0809
	योग	किता–08	0.6167
3.	गोपाल पुत्र देवा हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0देह खातेदार	3751/1 3748/1 3749/1 3736/1	0.0728 0.1457 0.1538 0.0387
	योग	किता–04	0.4110

नक्शे में वादीगण के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को – – के रूप में व प्रतिवादी के हिस्से में रहने वाली भूमियों को XX व शामलाती खाते में रहने वाली भूमियों को ++ के रूप में दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)